

RCMS 2018/00377

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

आज अदालत श्रीमान सहयोग कलक्टर गरीबगु मुकाम सीडवावा
उशोक कुमार 570 जगदीश्वर जमात बनाम भावनी पत्नी गायुशी
 किस्त मुकदमा सं. 287/2018 सन्

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तालीम में जारी हुये

17/8/18

अज यह वाद करी मे प्रतिवादीगण के
 विरुद्ध अ. / धारा 38/18/18 को
 दर्ज हो प्रतिवादीगण को सजाव जारी त
 मिसल दिनांक: 15/10/18 को पेश हो

सहायक कलक्टर
सीडवावा

15/10/18

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. बंकाशा/
 अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल
 दिनांक 7/12/18 को पेश हो।

20/1/19

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. बंकाशा/
 अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल
 दिनांक 31/1/19 को पेश हो।

31/1/19

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अबकाश,
 अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल
 दिनांक 28/2/19 को पेश हो।

28/2/19

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अबकाश,
 अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल
 दिनांक 29/3/19 को पेश हो।

29/3/19

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अबकाश,
 अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल
 दिनांक 30/4/19 को पेश हो।



तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>२६/३/२०</p> <p>पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे हैं। मिसल दिनांक २६/३/२० को पेश हो।</p> <p>२६/३/२०</p> <p>पत्रावली पेश हुई। बार सघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे हैं। पत्रावली दिनांक २९/३/२० को पेश हो।</p> <p>२९/३/२०</p> <p>वकील वारी उप.। परिष्कारण की तलवी हेतु सर्वे के परिष्कार अवकाश दिए जा चुके हैं। न्याय इतने एक मोट अतिरिक्त अवकाश दिया जाता है। उभयों आपत्ता पेश तक पेश न होने पर ०९ R-5 CPC के तहत परिष्कार फसल के लिए जाती। पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक ०१/४/२० को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Wkeas</p> <p>३१/३/२०</p> <p>पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे हैं। मिसल दिनांक ३१/३/२० को पेश हो।</p> <p>३१/३/२०</p> <p>पत्रावली पेश हुई। बार सघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे हैं। पत्रावली दिनांक १६/४/२० को पेश हो।</p> <p>१६.०४.२०</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उप.। वारी व वकील वारी द्वारा परिवारी गण के समस्त तलबाना उपाय अवकाश दिए जाने के बावजूद पेश नहीं करने पर पत्रावली ०-९ R-5 CPC के तहत स्वारिज की जाती हो। पत्रावली फसल सुमाए होकर गभर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">Wkeas छपरखण्ड अधिकारी डीडवाना</p>	